बिहार सरकार
परिवहन विभाग ।

<u>अधिसूचना</u>

संख्या-2/सी. एम. टी. - 46/2011 पटना, दिनांक ....

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1116/गो0, दिनांक 10.05.2013, द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा- 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय जिले के नगर थाना, बरौनी थाना एवं मुफसील थाना में पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष की अवधि तक के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्र0 सं0	*पुलिस पदाधिकारियों का पद..म*	*कार्य क्षेत्र*
1	*2*	*3*
1.	पुलिस निरीक्षक, नगर थाना, बेगूसराय	नगर थाना क्षेत्र, बेगूसराय
2.	पुलिस निरीक्षक, बरौनी थाना, बेगूसराय	बरौनी थाना क्षेत्र, बेगूसराय
3.	थानाध्यक्ष, मुफसील थाना, बेगूसराय	मुफसील थाना क्षेत्र, बेगूसराय
4.	थानाध्यक्ष, नगर थाना, बेगूसराय	नगर थाना क्षेत्र, बेगूसराय

2. पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त संबंधित सभी पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग के मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से ।

ह0/-
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. जट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

ह0/-
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक ..2146.................... पटना, दिनांक 05/06/2013...........

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय/शक्ति प्रदत् सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय/मोटर यान निरीक्षक, बेगूसराय/प्रवर्तन निरीक्षक, बेगूसराय /प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/6/13
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।